सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 65/2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024/154

1. फूलचन्द पुत्र कल्याण सहाय
2. मालती पत्नी फूलचन्द

समस्त जाति मीणा निवासी चालीसा की ढाणी गुढाचक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगणः—

बनाम्

1. सीताराम पुत्र कल्याण
2. गिर्राज पुत्र कल्याण
3. भौरीलाल पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीणा निवासी चालीसा की ढाणी गुढाचक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

4. उप पंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगणः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

श्री सुरेश शर्मा, एड0 प्रार्थीगण
श्री प्रीतम शर्मा, एड0 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

दिनांकः—27.01.2025

निर्णय

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2598/1025 रकबा 0.0430 है0, 2600/1020 रकबा 1.8752 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी, प.ह. बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 101/458, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 64/229 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसे वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की शामलाती कृषि भूमि है तथा जिसका अभी तक वैधानिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है तथा वाहमी बंटवारे से बांटकर काबिज होकर काबिज है। दिनांक 16.02.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त भूमि वादग्रस्त पर अजनबी क्रेतागण को साथ लेकर आये तथा विशिष्ट भू—भाग को अपना बताकर विक्रय कर कॉलोनी विकसीत करने की बात कही तथा प्रार्थीगण को बेदखल करवाने एवं अवैध निर्माण कार्य करने व दीगर व्यक्ति को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी। अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर उक्त वादीग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन होने तक किसी दीगर व्यक्ति, संस्था को बेचान नहीं करे, ना ही अवैध कॉलोनी विकसीत करे इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो वाद कारण/घटना बतायी है ऐसी कोई घटना ना तो पूर्व में हुई है तथा प्रार्थीगण द्वारा जब भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय कर दिया है तथा प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है तथा ना ही सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा भूमि का विक्रय किया जाकर चुकती राशि जरिये चैको द्वारा अपने खाते में प्राप्त की जा चुकी है एवं प्रार्थीगण भूमि विक्रय के साथ ही कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला—जयपुर

गया था। अतः उक्त आराजी पर जब प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है तथा भूमि का विक्रय किया जाकर क्रेता को कब्जा दिया जा चुका है तथा भूमि विभाजन नहीं हो सकता है, तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2598/1025 रकबा 0.0430 है0, 2600/1020 रकबा 1.8752 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी, प.ह. बस्सी तहसील बस्सी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त आराजी का बेचान जरिये इकरारनामा होने से प्रार्थीगण ने क्रेता को कब्जा सम्भलवा दिया है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। वही अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है:-

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:- पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2598/1025 रकबा 0.0430 है0, 2600/1020 रकबा 1.8752 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी, प.ह. बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया है। जिससे उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का बेचान हो जाने से कब्जा क्रेता का है। अतः वादग्रस्त आराजी के मौके पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u>:- आराजी मुतनाजा के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार तो है, लेकिन काबिज काश्तकार नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रमाणित नहीं होता है।

3. <u>अपूर्णनीय क्षति</u>:- चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के हिस्से पर क्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त है। यदि प्रार्थीगण के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों से वंचित होना नहीं पडेगा तथा अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बस्सी के आराजी खसरा नम्बर 2598/1025 रकबा 0.0430 है0, 2600/1020 रकबा 1.8752 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण के काबिज काश्त नहीं होने से हक हकूकों प्रभवित नहीं है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त खातेदार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर